न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्याः— 24/2022 जी.सी.एम.एस नं0 2022/55

1. तरूण नाबालिग उम्र 11 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जरिये माता सुमन देवी पत्नी सत्यनारायण।
2. निखिल नाबालिग उम्र 8 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जरिये माता सुमन देवी पत्नी सत्यनारायण।
3. दिव्यांशी नाबालिग उम्र 9 वर्ष पुत्री शंकरलाल जरिये माता अनुदेवी पत्नी शंकरलाल।
4. इसीका नाबालिग उम्र 3 वर्ष पुत्री शंकरलाल जरिये माता अनुदेवी पत्नी शंकरलाल।
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:वादीगणः—

बनाम्

1. सत्यनारायण पुत्र बेनीप्रसाद।
2. शंकरलाल पुत्र बेनीप्रसाद।
3. केदार पुत्र मूल्या।
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. कौशल्या पुत्री मूल्या पत्नी राधेश्याम जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम कानोात तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल निवासी बापलावतों का बास, बिलवा कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—:प्रतिवादीः—

5. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:तरतीबी प्रतिवादीः—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत, एड0 वादीगण।

—:निर्णयः— दिनांकः— *31/01/2025*

1. आज यह दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 447/4 रकबा 0.4552 है0 वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानोता, तहसील बस्सी जिला जयपुर के हिस्सा 1/4 के पूर्ण खातेदार काश्तकार वादीगण के दादा व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 बेनीप्रसाद पुत्र मूल्या थे एवं भूमिवादग्रस्त के हिस्सा 1/4 की भूमि के पैतृक होने के कारण वादीगण के जन्म से ही हित व अधिकार निहित है। जिस पर वादीगण का काबिज काश्त है। उक्त वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/8 की भूमि में पैतृक होने के कारण 2/3 दर हिस्सा 1/8 वादीयागण संख्या 3 व 4 का बनता है व 1/3 दर हिस्सा 1/8 प्रतिवादी संख्या 2 का बनता है। दिनांक 20.02.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अजनबी व्यक्तियों के साथ भूमिवादग्रस्त के हिस्सा 1/4 की भूमि पर आ गये जिसमें पैतृक होने के कारण वादीगण के जन्म से ही हक व अधिकार बनते है। उक्त भूमिवादग्रस्त सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 को बेचान करने के लिये दिखाने लगे एवं वादीगण नाबालिग है एवं वादीगण की ओर से उनकी माताओं द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को उक्त वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/4 की पैतृक भूमि का बेचान करने के लिये मना किया

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वादीगण के हक व अधिकार होने से इन्कार कर दिया व कानूनन गलत इन्द्राज के आधार पर बेचान करने की धमकी दी। जिसके कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। उक्त भूमि वादग्रस्त मा0 न्यायालय के क्षेत्राधिकर में होने से सुनवाई का क्षेत्राधिकार आप श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बाबत् घोषणा, इन्द्राज का डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/8 की भूमि में से 2/3 दर हिस्सा 1/8 के खातेदार काश्तकार वादीगण संख्या 1 व 2 को घोषित किया जावे व भूमिवादग्रस्त के हिस्सा 1/8 की भूमि में से 2/3 दर हिस्सा 1/8 के खातेदार काश्तकार वादीगण संख्या 3 व 4 को घोषित किया जावे व भूमिवादग्रस्त के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी को दुरूस्त किया जाकर हिस्सेनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किये जाकर प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्सेनुसार काश्त करने में बाधा नहीं डाले, न ही बेचान करे, न ही पुख्ता निर्माण करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी उपस्थित न्यायालय नहीं आये। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की ओर से लिखितशुदा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसके समर्थन में रामलीलाल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुये। प्रकरण पर वादीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि नाबालिग वादीगण के जरिये संरक्षक उनकी माताओं के दावा पेश किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण अपने पैतृक खातेदारी अधिकार होने से अपने हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी होने से वादीगण का दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेज — EX P-1 ख.नं. 447/4 रकबा 0.4552 है0 की जमाबंदी सम्वत् 2074—2077, EX P-2 जमाबन्दी सम्वत 2066—2069, PW-1 वादीगण का साक्ष्य शपथ पत्र, PW-2 वादीगण के साक्ष्य समर्थन में गवाह शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन करने एवं वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन पश्चात् हम पते है कि खाता संख्या 361 खसरा नम्बर 447/4 रकबा 0.4552 है0 ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है। वादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस होना एवं वादी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 2 के वारिस होने से वादीगण ने अपने पिता की पैतृक उक्त वादग्रस्त आराजी में से अपने—अपने हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु दावा पेश किया है। वादपत्र में वादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
जिला—जयपुर

वारिस होना एवं वादी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 2 के वारिस होना बताया है, लेकिन वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कानूनी वारिस है। यहां यह तय किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि वादी संख्या 1 ता 4, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कानूनी वारिस है तत्पश्चात ही वाद में चाहे गये अनुतोष पर विचारण किया जाना उचित समझते है। जिससे वादीगण को वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत वाके ग्राम कानोता खसरा नम्बर 447/4 रकबा 0.4552 है0 के सम्बन्ध में चाहा गया अनुतोष नहीं दिया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत वाके ग्राम कानोता खसरा नम्बर 447/4 रकबा 0.4552 है0 के सम्बन्ध में चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 31/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्याः— 24/2022 जी.सी.एम.एस नं0 2022/55

वादीगण

1. तरूण नाबालिग उम्र 11 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जरिये माता सुमन देवी पत्नी सत्यनारायण
2. निखिल नाबालिग उम्र 8 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जरिये माता सुमन देवी पत्नी सत्यनारायण
3. दिव्यांशी नाबालिग उम्र 9 वर्ष पुत्री शंकरलाल जरिये माता अनुदेवी पत्नी शंकरलाल
4. इसीका नाबालिग उम्र 3 वर्ष पुत्री शंकरलाल जरिये माता अनुदेवी पत्नी शंकरलाल

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

1. सत्यनारायण पुत्र बेनीप्रसाद
2. शंकरलाल पुत्र बेनीप्रसाद
3. केदार पुत्र मूल्या

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

4. कौशल्या पुत्री मूल्या पत्नी राधेश्याम जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम कानोात तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल निवासी बापलावतों का बास, बिलवा कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत, एड0 वादीगण।

पर्चा डिक्री

दिनांक 31/01/2025

दावा वादीगण बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत वाके ग्राम कानोता खसरा नम्बर 447/4 रकबा 0.4552 है0 के सम्बन्ध में चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 31/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर